

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)
(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 में द्वितीय संशोधन आदेश)

कमांक / **378** / सी.जे.एम. / 2025

जबलपुर, दिनांक 05.05.2025

मैं अभिषेक सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 21.04.2025 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा-

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कमांक 20 (श्री जितेन्द्र रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कमांक 02 से श्री जितेन्द्र रावत, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर को विलोपित कर श्री पंकज सविता, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कॉलम कमांक 03 से आरक्षी केन्द्र गढ़ा विलोपित किया जाता है।
2. कार्यविभाजन आदेश के सरल कमांक 18 (श्रीमती दीपा पोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कमांक 03 से आरक्षी केन्द्र आधारताल विलोपित कर आरक्षी केन्द्र गढ़ा प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. कार्यविभाजन आदेश के सरल कमांक 27 (श्री राहुल छत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कमांक 03 में आरक्षी केन्द्र आधारताल समाहित किया जाता है।
4. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 08 (सुश्री वंदना सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कमांक 04 में निम्नानुसार सरल कमांक समाहित किये जाते हैं-

3- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की नोटिफिकेशन कमांक सी/1438/III-10-40 /78 जबलपुर दिनांक- 19.02.2025 द्वारा अधिसूचित जिलो की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।

4- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक सी/1436/ तीन-6-4/57 भाग- 40 जबलपुर दिनांक- 19.02.2025 द्वारा अधिसूचित जिलो की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 03 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई. मामले के लिए विशेष रूप से) द्वारा किया गया हो, के द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।

5. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कमांक 01 के सरल कमांक 20 को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है एवं नवीन सरल कमांक 48 निम्नानुसार समाहित किया जाता है-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
		03	04	05	06
01	02				
48	श्री पंकज सविता	सुश्री ऋचा बठेजा	सुश्री अंकिता त्रिपाठी	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्री प्रियम कुमार सक्सेना

6. कार्यविभाजन आदेश की अनुसूची कमांक 01 के सरल कमांक 01 में प्रथम प्रभारी की हैसियत से उल्लेखित श्री जितेन्द्र रावत जे.एम.एफ.सी. विलोपित कर श्री स्वास्तिक सावंत जे.एम.एफ.सी. जबलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. कार्यविभाजन आदेश की अनुसूची कमांक 01 के सरल कमांक सरल कमांक 11, 30 एवं 44 एवं अनुसूची कमांक 02 के सरल कमांक 07 में उल्लेखित श्री जितेन्द्र रावत जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम विलोपित कर श्री पंकज सविता जे.एम.एफ.सी. जबलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।

8. तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में कार्यविभाजन आदेश की अनुसूची कमांक 01 को विलोपित कर तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में निम्नानुसार प्रभार प्रतिस्थापित किया जाता है—

तहसील न्यायालय पाटन

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजय भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
2	सुश्री विजय भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री नारायण यादव
3	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती संभवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन
4	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजय भारती यादव
5	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजय भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता
6	श्री नारायण यादव	सुश्री निधि जैन	सुश्री विजय भारती यादव	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा

9. तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कमांक 01 (सुश्री विजया भारती यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर) के कॉलम कमांक 04 से कंडिका कमांक 03 को विलोपित कर निम्नानुसार कंडिका कमांक 03 प्रतिस्थापित किया जाता है—

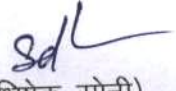
3. तहसील पाटन के वन विधि से उद्भूत परिवाद, / प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।

10. तहसील न्यायालय पाटन के संबंध में कार्यविभाजन आदेश में नवीन सरल कमांक 05 (श्रीमती संभवी सिंह कोपरिहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर) निम्नानुसार समाहित किया जाता है—

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
5	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा जे.एम.एफ.सी. पाटन		1- तहसील पाटन के खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद / प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

11. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची क्रमांक 03 के सरल क्रमांक 10, 11 एवं 12 को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किये जाते हैं-

क	निम्नलिखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों में	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
10	पाटन कटंगी चरगवां	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती विजया भारती यादव	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
11	बेलखेड़ा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा
12	शहपुरा	सुश्री मयूरी गुप्ता	श्रीमती शाम्भवी सिंह कोपरिहा	श्रीमती विजय भारती यादव

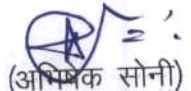

(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / / सी.जे.एम. / 2025

जबलपुर, दिनांक 02.05.25

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


(अभिषेक सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर